अपील सूचना अधिकार संख्या 02/2017 अनवानी श्री कृष्णलाल पुत्र चिमनलाल निवासी अनूपगढ बनाम उपजिला कलक्टर, अनूपगढ

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
02/2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11–02–2017

पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। अपीलार्थी श्री कृष्णलाल के मु0आम श्रीम मदनलाल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के मु0 आम श्री मदनलाल का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र द्वारा उपजिला कलक्टर अनूपगढ से चाही गई 2 बिन्दूओ की सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी के अपील पत्र अनुसार उसके द्वारा उपजिला कलक्टर, अनूपगढ से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत निम्न सूचना चाही थी:–

1. दिनांक 11.07.2016 को श्रीमान अरविन्द जाखड के कार्यकाल में कितने पौंग डैम औटियों को आवंटन किया है चक वार व मु.न. रकबा आसामीवार सूची की नकल दी जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया था।
बार–बार पेश होने के उपरान्त मेरे को कोई सूचना नही दी। रसीद की फोटो प्रति पेश कर रहा हूँ।
2. दिनांक 04.11.2016 को श्रीमान अरविन्द जाखड उपजिला कलक्टर महोदय अनूपगढ के कार्यकाल के दौरान पौंग डैम औसटियो को कितनी भूमि आवंटन एवं 6ए में रिमांड प्रकरण बहाली की चकवार मु.न. रकबा की आसामीवार की सूचना चाही थी। जिसका मेरे को आज दिनांक तक बार–बार चक्कर लगाने पर भी सूचना नही दी गई रसीद की फोटो प्रति सलंग्न है।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ ने अपने जबाब सं0 182 दिनांक 20.01.2017 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नवाचक श्रेणी की होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नही होने के फलस्वयप को उक्त संबंध में समय समय पर अवगत करवाया गया है। उनके द्वारा पत्र सं0 1220–21 दिनांक 28.07.16 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया है:–

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपका सूचना के अधिकार के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिनांक 11.07.2016 द्वारा वांछित सूचना प्रश्नवाचक है, ऐसी स्थिति में सूचना के अधिकार के तहत प्रश्नो का उत्तर दिया जाना सूचना के अधिकार के अन्तर्गत नही आता है, ऐसी स्थिति में वांछित सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नही है।

4S7-88
…/3/17

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

PTO

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना कोई निश्चित व स्पष्ट सूचना नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 28.07.2016 सही है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर